उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

/आदेश/

कमांक—13—/स्था.सैट/2020 जबलपुर दिनांक 11.1.2021

श्री यदुबीर सिंह किरार, आत्मज स्वर्गीय श्री बदन सिंह राजपूत, को अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त चौकीदार के पद पर वेतनमान 4440—7440+ग्रेडपे—1300 (सातवें वेतनमान में लेबल—1 पे—मैट्रिक्स—1—15500—49000) में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तो पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (निवर्तमान सैट) खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर नियुक्त किया जाता है —

01. यह कि, वे शपथ लें कि, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेगें।

02 यह कि, इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि, उन्हें कभी भी, किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दंण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है, और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हैं, और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि, आज दिनांक तक उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया हैं, और न ही निष्काषित किया गया है। यह कि उन्होंने भर्ती प्रकिया में जो भी जानकारियां दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा उनके विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा, जो उन्हें स्वीकार एवं मान्य होगा। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा।

03. यह कि वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थीं कि मूल प्रतियो को लेकर उपस्थित होंगें. यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा

04. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार परिभाषित अशंदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

05. यह कि, वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।

06. यह कि वे बिना पूर्व अनुमति के कोई अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा मे सम्मलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.।

07. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है, तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।

08. यह कि उनकी नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि, उन्हें अपनी स्वस्थता का प्रमाणपत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, प्रस्तुत करना होगा, स्वस्थता प्रमाणपत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेंगी।

09 कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि, प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

10. कर्मचारी को समय–समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।

11. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के आभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

12. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पडेगी कि, उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं, और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे।

13. यह कि, उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र, शपथपत्र एवं मूलप्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

sd/-
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0क0—14 /स्था.सैट/2020 **जबलपुर दिनांक 11.1.2021**

प्रतिलिपि—

01. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ—ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर
02. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/व्ही.एल., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.
03. रजिस्ट्रार, (एम./ई/पी.पी.एस.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
04. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि,आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की बेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
05. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
06. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
07. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर./ग्वालियर
08. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर./ग्वालियर
09. लेखाधिकारी, (निवर्तमान सैट.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.।
10 रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. सहायक स्थापना (सैट)/सेवा पुस्तिका/वेतन—पत्रक,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/ग्वालियर
12. श्री यदुबीर सिंह किरार, आत्मज स्व0 श्री बदन सिंह, हरिहर नगर सागरताल रोड,बहोडापुर, ग्वालियर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)